12

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता विभाग,
सूबेदार गंज, इलाहाबाद.

SIV – 08/2017

पत्र संख्या: 2016/12/02612/PC/V3/N/JHS   दिनांक: 01.12.2017

मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर,
उत्तर मध्य रेलवे,
इलाहाबाद.

विषय: संकेत एवं दूरसंचार विभाग के स्टाफ के टी०ए० सत्यापन हेतु 'मूवमेंट रजिस्टर' खोले जाने के संबंध में.

उत्तर मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा टी०ए० के दावों के संबंध में की गयी निवारक जाँचों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि संकेत एवं दूरसंचार विभाग के स्टाफ के मूवमेंट को अभिलिखित करने हेतु कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं बनाया जाता है – जिससे टी०ए० बिल की प्राप्ति पर यह सत्यापित करना असंभव होता है कि वर्णित आधिकारिक यात्राएँ वास्तव में की गयी थीं अथवा नहीं, एवं उन यात्राओं के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति थी अथवा नहीं.

अतः इस स्थिति के निराकरण के लिए प्रणाली सुधार की संस्तुति की जाती है कि सभी संबंधित कार्यालयों के 'कार्यालय अधीक्षकों' की अभिरक्षा में एक मूवमेंट रजिस्टर रखवाया जाए – एवं लाइन पर जाने वाला स्टाफ उचित समय पर उक्त कार्यालय अधीक्षक को फ़ोन द्वारा अपने मूवमेंट की सूचना दे. उक्त सूचना के आधार पर कार्यालय अधीक्षक द्वारा मूवमेंट रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए, एवं टी०ए० बिल की प्राप्ति पर मूवमेंट रजिस्टर से क्रॉस-चेक करके ही टी०ए० का सत्यापन किया जाए.

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें.

अ०ओ०
(अमिताभ ओझा) 04.12.2017
वरि० उप महाप्रबंधक